समक्ष एम. एम. कुमार और एम. एम. एस. बेदी, जे जे.

परमोद कुमार और अन्य, – *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा सरकार और अन्य, – *उत्तरदाताओं*

सी डब्ल्यू पी संख्या 187 साल 2006

15 सितंबर, 2006

भारत का संविधान, 1950 – अनुछेद 14, 16 (1) और 226 – चतुर्थ श्रेणी *पद के लिए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति – पदों या रिक्तियों को भरने के लिए न तो कोई विज्ञापन जारी किया गया और न ही रोजगार कार्यालय को इसकी सूचना दी गई और न ही उन पात्र व्यक्तियों के दावे, जो खुले बाजार में उपलब्ध हो सकते हैं, आमंत्रित किए गए और उन पर विचार किया गया– याचिकाकर्ता असफल पूर्व चयन के अभ्यर्थी- पहले के चयन के उम्मीदवार – याचिकाकर्ताओं का चयन संविधान की मूल संरचना जैसा कि अनुच्छेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन करता है– याचिका द्वारा खारिज कर दिया गया है*।

निर्णय, वह आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2005 जिसके तहत याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया गया था, इसमें कोई अवैधता नहीं है, इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए नियुक्ति पत्र संविधान की मूल संरचना जैसे कि अनुच्छेद 14 और 16 (1) का घोर उल्लंघन करते हैं। राज्य या उसके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किसी भी पद को भरने के लिए नियमों के अनुसार पद का विज्ञापन करना और आवेदन करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के प्रतिस्पर्धात्मक दावों पर विचार करने के बाद उसे भरना उनका परम कर्तव्य है। प्रतिवादी संख्या 3 के तहत चतुर्थ श्रेणी के 7 पदों को भरने के लिए कभी कोई विज्ञापन नहीं दिया गया जो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। (पैरा 5)

अरविंद सिंह, *याचिकाकर्ताओं के लिए वकील*

हरीश राथे, *सीनियर डीएजी हरियाणा*

निर्णय

एम. एम. कुमार, माननीय न्यायाधीश

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका में 23 दिसंबर, 2005 (अनुलग्नक पी. 13) के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है जिससे याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं को 24 दिसंबर 2004/30 दिसंबर, 2004 (अनुलग्नक पी.5 से पी.एल.एल.) को जारी उनके नियुक्ति पत्र के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सभी परिणामी लाभ के साथ बने रहने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश जारी करने के लिए एक और प्रार्थना की गई है।

(2) तत्काल याचिका के निपटान के लिए आवश्यक मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि निदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, प्रतिवादी संख्या 3 ने राज्य सतर्कता ब्यूरो के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी की सात रिक्तियों को भरने के लिए पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 2 को एक मांग भेजी थी। चयन समिति का गठन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया था और सभी याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे उस समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे। आगे दावा किया गया है कि उनका चयन किया गया था और उस संबंध में एक सूचना प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 को भेजी गई थी, जैसा कि 16 दिसंबर, 2004 के संचार के अवलोकन से स्पष्ट है। उपर्युक्त संचार के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं को 17 दिसंबर, 2004 को चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए कहा गया (अनुलग्नक पी.3)। वे चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ्य पाए गए और 17 दिसंबर, 2004 का मेडिकल प्रमाणपत्र एक याचिकाकर्ता यानी याचिकाकर्ता नंबर 1 परमोध कुमार यादव के संबंध में अनुबंध पी.4 के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया। इसी तरह के प्रमाणपत्र अन्य को भी जारी किए जाने का दावा किया गया जिसके

द्वारा अन्य याचिकाकर्ताओं को 24 दिसंबर, 2004 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए (परिशिष्ट पी.5 से पी.10)। 23 दिसंबर, 2005 को, निदेशक राज्य सतर्कता ब्यूरो, प्रतिवादी नंबर 3 ने इस आशय का आदेश पारित किया कि चतुर्थ श्रेणी का कोई भी पद समाचार पत्र में विज्ञापन दिए बिना या रोजगार कार्यालय को सूचित किए बिना नहीं भरा जाना चाहिए। इसने याचिकाकर्ताओं के चयन और नियुक्ति में निम्नलिखित अवैधताओं की ओर इशारा किया:

> "हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने इस ब्यूरो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सात पद भरने के लिए नामों की अनुशंसा की थी। नियमानुसार इन पदों को समाचार पत्र या रोजगार कार्यालयों में विज्ञापन/सूचना दिए बिना नहीं भरा जा सकता। पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के कार्यालय ने नियमानुसार इन पदों का विज्ञापन नहीं दिया। इस ब्यूरो के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए चुने जाने वाले पदों के चयन के लिए गठित बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार एवं चयन में निष्पक्ष कार्य नहीं किया है, जिसने आप सहित सात लोगों के नामों का चयन एवं अनुमोदन किया है। इसके अलावा आपका नियुक्ति आदेश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद जारी किया गया था। इन गैरकानूनी अवैधताओं/अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण चयन प्रक्रिया जिसके द्वारा आपका चयन किया गया, वह शून्य और अवैध बन जाती है ।"

(3) उपरोक्त आदेश याचिकाकर्ता को यह देखते हुए जारी किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 3 के लिए उन्हें सेवा में रखना संभव नहीं था और 24 दिसंबर, 2004 को जारी किए गए नियुक्ति आदेश और 13 दिसंबर, 2004 (अनुलग्नक पी.5 से पी.एल.एल.) वापस ले लिए गए थे। व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(4) लिखित बयान में उत्तरदाताओं द्वारा एक विशिष्ट रुख अपनाया गया है कि जब एचएसआईएसएफ बटालियन के लिए चतुर्थ श्रेणी पदों की 125 रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था तब साक्षात्कार के बाद चयन सूची प्रकाशित की गई थी। तदनुसार, एचएसआईएसएफ की तीसरी, चौथी और पांचवीं बटालियन के लिए 46, 44 और 41 उम्मीदवारों का चयन किया गया। याचिकाकर्ताओं के नाम कभी भी उपर्युक्त चयन सूची में शामिल नहीं किए गए थे। ये सात पद प्रतिवादी संख्या 3 के यहां रिक्त पाए गए और इन्हें भरने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को एक मांग भेजी गई थी। हालाँकि, उपरोक्त सात पदों का विज्ञापन करने के बजाय प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सात याचिकाकर्ताओं के नामों की सिफारिश की गई और प्रतिवादी संख्या 3 से उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए कहा गया। प्रारंभिक आपत्ति क्रमांक 1 और उत्तर के पैरा 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन सात पदों को भरने के लिए कभी कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था और पूर्व चयन के असफल अभ्यर्थियों में से प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा याचिकाकर्ताओं के नामों की गलत अनुशंसा की गई थी। उपर्युक्त लिखित बयान 24 जुलाई, 2006 को दायर किया गया था और इसे किसी भी प्रतिकृति को दाखिल करके विवादित नहीं किया गया, जिसमें यह कहा गया हो कि नियमों के अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए पोस्ट वास्तव में प्रेस में विज्ञापित की गई थी।

(5) उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को काफी देर तक सुनने के बाद, हमारा विचार है कि 23 दिसंबर, 2005 का आदेश (अनुलग्नक पी.13) किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो क्योंकि याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए नियुक्ति पत्र (अनुलग्नक पी.5 से पी.एल.एल.) संविधान की मूल संरचना जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का घोर उल्लंघन करते है। राज्य या उसके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किसी भी पद को भरने के लिए नियमों के अनुसार पद का विज्ञापन करना

और आवेदन करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार करने के बाद उसे भरना उनका परम कर्तव्य है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 3 यानि निदेशक विजिलेंस ब्यूरो की चतुर्थ श्रेणी के 7 पदों को भरने के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है और न ही कभी विज्ञापित किया गया जो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। उस संबंध में, **लोक सेवा आयोग *बनाम* गिरीश जयंती लाई वाघेला**[1] के मामले में निम्नलिखित पैरा 12 पर निर्भरता रखी जा सकती है:

> "12. मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग III में जगह पाने वाले अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि रोजगार या किसी भी राज्य के कार्यालय में नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कार्यालयों में अवसर और रोजगार की समानता का संवैधानिक अधिकार बनाना है। 'रोज़गार' या 'नियुक्ति' शब्द न केवल प्रारंभिक नियुक्ति बल्कि सेवा की अन्य विशेषताओं जैसे पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की आयु आदि को भी कवर करते हैं। राज्य के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति में योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने और विशेषज्ञों के एक निकाय या एक विशेष रूप से गठित समिति, जिसके सदस्य निष्पक्ष हों, द्वारा लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता या कुछ अन्य तर्कसंगत मानदंडों के आधार पर चयन आयोजित करने के बाद ही राज्य में ऐसा किया जा सकता है। राज्य या संघ के तहत किसी पद पर नियमित नियुक्ति निर्धारित तरीके से विज्ञापन जारी किए बिना नहीं की जा सकती है, जिसमें कुछ मामलों में रोजगार कार्यालय से आवेदन आमंत्रित करना शामिल हो सकता है जहां पात्र

[1] (2006) 2 S.C.C. 482.

उम्मीदवार अपना नाम पंजीकृत कराते हैं। किसी पद पर की गई कोई नियमित नियुक्ति राज्य या संघ द्वारा योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए बिना, विज्ञापन जारी किए बिना और उचित चयन किए बिना, जहां सभी योग्य उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने का उचित मौका मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होगा **(बी.एस. मिन्हास *बनाम* भारतीय सांख्यिकी संस्थान)।[2]"**

(6) उपर्युक्त दृष्टिकोण का हवाला देते हुए, सचिव, **कर्नाटक राज्य *बनाम* उमादेवी**[3] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता का नियम संविधान की मूल विशेषता है। उपर्युक्त दृश्य को फैसले के पैरा 43 से समझा जा सकता है जो की इस प्रकार है: –

"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जनता में रोजगार में समानता के शासन का पालन करना हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और चूंकि कानून का शासन हमारे संविधान का मूल है, इसलिए एक अदालत निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को बरकरार रखने में या अनुछेद 14 के साथ पठित अनुछेद 16 की आवश्यकताओं के अनुपालन की अनदेखी करने का आदेश पारित करने से अक्षम होगी। इसलिए, सार्वजनिक रोजगार की योजना के अनुरूप, इस न्यायालय ने कानून बनाते समय आवश्यक रूप से यह माना है कि जब तक नियुक्ति प्रासंगिक नियमों के अनुसार और योग्य व्यक्तियों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा के बाद होती है तब नियुक्त व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा।"

(7) जब वर्तमान मामले के तथ्यों को उपरोक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में देखा जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर्थ श्रेणी के पद पर

---

[2] AIR 1984 SC 363
[3] (2006) 4 S.C.C. 1

याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र अनुबंध पी.5 से पी.11 जारी करके नियुक्त किया गया था, उन्हे कभी भी विज्ञापित नहीं किया गया और न ही उन पात्र व्यक्तियों के दावे आमंत्रित किए गए, जो खुले बाजार में उपलब्ध हो सकते थे, उन पर न तो विचार और न ही उनका मूल्यांकन किया गया। इसलिए, इस तरह के चयन के परिणामस्वरूप संविधान की आधार संरचना जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन होगा। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता वास्तव में असफल उम्मीदवार हैं जो एचएसआईएसएफ बटालियन के लिए विज्ञापित चतुर्थ श्रेणी पदों के संबंध में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे। इसलिए, इस याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा